Form No. III

Qnl&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

जसंवतसिंह बनाम **लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा	अपील (सूचना का अधिकार)	नं0	**051**	सन्	**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2025	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी जसंवत सिंह आंजना पिता गणपतलाल आंजना निवासी नरसाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़** को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2025 के संबंध में प्रस्तुत की गई है, जिसकी विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। **लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़** द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) प्रस्तुत आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रथम अपील हेतु अपीलार्थी से अपेक्षित है कि अपीलार्थी दो प्रतियों में अपील आवेदन व अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन की प्रति मय आवेदन शुल्क (भारतीय डाक आदेश) एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना प्रावधित है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ **लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़** को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2025 की छाया प्रति, आवेदन शुल्क की छाया प्रति व पोस्टल रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के अंत में संलग्नक के रूप में अंकित किया है, जो कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न नही है तथा अपील आवेदन छायाप्रति मात्र है एवं उक्त दस्तावेजात प्रथम अपील ग्रहण किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजात है, ऐसी स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्रहण किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2025 की छाया प्रति के साथ सुपाठ्य एवं स्पष्ट पोस्टल रसीद की प्रति के साथ नवीन प्रथम अपील आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत करावें। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से निस्तारित किया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में उक्तानुसार अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि म अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। भारतीय डाक आदेश की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (आलोक रंजन) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 04.08.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	